



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण 1941 (श०)

(सं० पटना ७६६) पटना, मंगलवार, २० अगस्त २०१९

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना

१४ अगस्त २०१९

सं० ११/नई उत्पाद नीति-०१-०३/२०१५-२६३९—बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम १९४७, (बिहार अधिनियम-vi, १९४७) की धारा १३ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार छोआ (नियंत्रण) नियमावली, १९५५ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

बिहार छोआ (नियंत्रण) नियमावली, १९५५ के नियम-३ के उप नियम (एफ१) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"३(F-1)-(i) बिहार राज्य में स्थापित सभी चीनी मिलों से छोआ के सम्पूर्ण उत्पादित मात्रा की सूचना प्रपत्र एम०एफ०-३ में प्राप्त होने पर छोआ नियंत्रक छोआ के कुल उत्पादन एवं इथनॉल उत्पादन हेतु आवश्यक छोआ की गणना करेंगे। अतिरिक्त छोआ होने के स्थिति में अगले सत्र हेतु कम से कम एक माह के खपत के बराबर छोआ सुरक्षित रखते हुए छोआ नियंत्रक अधिशेष छोआ का निर्यात की अनुमति दे सकेंगे।

- (ii) छोआ का निर्यात जी०पी०एस० युक्त, डिजीटल लॉक लगे वाहनों से किया जायेगा।
- (iii) राज्य से बाहर छोआ निर्यात पर १०/- (दस) रुपया प्रति विंटल की दर से निर्यात फीस GST रहित देय होगी।"

२. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

14 अगस्त 2019

सं0 11 / नई उत्पाद नीति-01-03/2015-2639 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 14th August 2019

No. 11/New Excise Policy-01-03/2015-2639—In exercise of the powers conferred under Section 13 of **The Bihar Molasses (Control) Act, 1947 (Bihar Act-vi of 1947)** the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in **The Bihar Molasses (Control) Rules, 1955.**

In the Bihar Molasses (Control) Rules, 1955, sub rule (F1) of Rule-3 shall be substituted by the following:—

"3(F1)(i) -After receipt of report in form MF 3 from all the Sugar Factories situated in the State of Bihar, the Controller of Molasses will calculate the total production of Molasses and requirement of molasses to produce Ethanol. In case of surplus molasses, the molasses controller after keeping in reserve at least equal to one month's consumption of molasses for the next year, may permit the export of excess molasses."

- (ii) The molasses shall be exported through GPS enabled, digitally locked vehicles.
- (iii) The export of Molasses out of the state shall be chargeable by Rs.10/- (Ten) per quintal export fee excluding GST."

2. This Notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By order of The Governor of Bihar,

AMIR SUBHANI,

Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 966-571+500-३१०८०१०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>